"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 300] रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 जुलाई 2017 — आषाढ़ 26, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2017

क्रमांक 6581/डी. 142/21-अ/प्रारू./छ. ग./17. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 07-01-2016 को राज्यपाल एवं दिनांक 02-07-2017 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 8 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2015.

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्र. 29 सन् 1983) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 4 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्र. 29 सन् 1983) की धारा 4 की उप-धारा (3) में,-

(एक) खण्ड (तीन) में,-

(क) उप-खण्ड (क) में, शब्द तथा चिन्ह "सिंचाई" के पश्चात्, चिन्ह तथा शब्द ",पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग" अंत:स्थापित किया जाये; और

(ख) शब्द "पांच वर्ष", जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द "दो वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाये.

(दो) खण्ड (तीन) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परंतु यह कि खण्ड (तीन) के मामले में, अपवादात्मक परिस्थितियों में, राज्य शासन, दो वर्ष की विहित न्यूनतम अवधि को, एक वर्ष या एक वर्ष से कम, शिथिल कर सकेगा."

निरसन.

3. छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्र. 4 सन् 2015) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 17 जुलाई 2017

क्रमांक 6581/डी. 142/21-अ/प्रारू./छ. ग./17.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-07-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 8 of 2017)

THE CHHATTISGARH MADHYASTHAM ADHIKARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2015.

An Act further to amend the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 4.

2. In sub-section (3) of Section 4 of the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983), -

(i) In clause (iii),-

(a) In sub-clause (a), after the word "Irrigation", the punctuation and words ", Department of Panchayat and Rural Development" shall be inserted; and

(b) For the words "five years", wherever they occur, the words "two years" shall be substituted.

(ii) For proviso to clause (iii), the following shall be substituted, namely :-

"Provided that in case of clause (iii), in exceptional circumstances, the State Government may, relax the prescribed minimum period of two years to one year or less than one year."

Repeal.

3. The Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran (Sanshodhan) Adhyadesh, 2015 (No. 4 of 2015) is hereby repealed.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017 .